



न्यायालय उप जिलाधिकारी सहारनपुर

वाद सं० 21/07-08

धारा 143 जोविं अधिनियम

एडवांस कैरियर एजूकेशन समिति गोकलपुर बनाम सरकार

मौजा गोकलपुर परगना तहसील व जिला सहारनपुर।

बद्ध संशोधित आदेश १८-१-८७

एडवांस कैरियर एजूकेशन समिति गोकलपुर परगना तहसील व जिला सहारनपुर द्वारा उसके सचिव जुबैर आलम पुत्र अखलाक निवासी मौहल्ला मुसलिम कालोनी लक्खी बाग देहरादून जिला सहारनपुर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 जोविं अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसीलदार सदर जॉच आख्या मैंगाई गयी। तहसीलदार सदर की जॉच आख्या प्राप्त होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार सदर ने अपनी जॉच आख्या मे अवगत कराया कि ग्राम गोकलपुर परगना तहसील व जिला सहारनपुर वे खाता संख्या 55 खसरा नम्बर 185 म रकवई 0.097 है० व खाता संख्या 62 खसरा नम्बर 188 म रकवई 0.102 है० व खाता संख्या 80 खसरा नम्बर 187 म रकवई 0.747 है० पर एडवांस कैरियर एजूकेशन समिति गोकलपुर परगना तहसील व जिला सहारनपुर द्वारा उसके सचिव जुबैर आलम पुत्र अखलाक निवासी म०न० 35/162 मौहल्ला मुसलिम कालोनी लक्खी बाग देहरादून का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। विवादित नम्बर मे मौके पर कृपि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा विकास प्राधिकरण के द्वारा विवादित भूमि का नक्शा भी पास किया जा चुका है। अन्त मे भूराजस्व समाप्त कर भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार सदर की आख्या से विदित है, कि विवादित नम्बर मे मौके पर कृपि कार्य नहीं किया जा रहा है अतः तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 22.12.2008 स्वीकार की जाती है। ग्राम गोकलपुर परगना तहसील व जिला सहारनपुर के खाता संख्या 55 खसरा नम्बर 185 म रकवई 0.097 है० व खाता संख्या 80 खसरा नम्बर 187 म रकवई 0.102 है० व खाता संख्या 62 खसरा नम्बर 188 म रकवई 0.747 है० पर एडवांस कैरियर एजूकेशन समिति गोकलपुर परगना तहसील व जिला सहारनपुर द्वारा उसके सचिव जुबैर आलम पुत्र अखलाक निवासी म०न० 35/162 मौहल्ला मुसलिम कालोनी लक्खी बाग देहरादून से लगान क्रमशः 1.80 रुपये, 33.50 रुपये व 2.55 रुपये समाप्त करते हुये भूमि अकृषिक / शिक्षण संस्थान हेतु घोषित की जाती है। तदानुसार आदेश दिनांक 22.12.2008 संशोधित किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी हो। पत्रावली वाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। प्रतिलिपि उप निबन्धक सहारनपुर को सूचनार्थ।

प्रार्थना पत्र सं० ८२८

प्रार्थना पत्र तिथि २२.१२.२००८

नक्शा जारी करने का दिनांक १६.१.२००९

नक्शा नोटम का दिनांक १६.१.२००९

नक्शा स्टाम्प गलक १३.....

नक्शा तिथि गलक १३.....

सत्य प्रतिलिपि

रीडर

न्यायालय परगना मैजिस्ट्रेट

सहारनपुर

१५/१०१

(राजकुमार)

उप जिलाधिकारी

सहारनपुर

न्यायालय उप जिलाधिकारी सहारनपुर  
 वाद सं० 62/08-09 धारा 143 ज०वि०अ०  
 एडवांस कैरियर एजूकेशन समिति बगाम सरकार  
 मौजा गोकलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर।

"१०५८ आदेश"

date 21/3/09 "

एडवांस कैरियर एजूकेशन समिति गोकलपुर द्वारा उसके संघित जबैर आलम ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अ० प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसीलदार सदर जॉच आख्या मँगाई गयी। तहसीलदार सदर की जॉच आख्या प्राप्त होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर पक्षो को न्यायालय से नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार सदर ने अपनी जॉच आख्या मे अवगत कराया कि ग्राम गोकलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर के खाता सं० 122 खसरा नम्बर 188 म रकवई 0.090 है० पर एडवांस कैरियर एजूकेशन समिति गोकलपुर द्वारा उसके संघित जबैर आलम पुनर अखलाक निवासी मौ० मुर्सिलम कालोनी लक्खी बाग देहरादून का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिका दर्ज कागजात चला आ रहा है। विवादित नम्बरान मे मौके पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि मौके पर चारदीवारी व कमरों का निर्माण कार्य चल रहा है। विवादित नम्बर के बारे मे विकास प्राधिकरण राहारनपुर के द्वारा नक्शा पास किया जा चुका है। अन्त मे भूराजस्त समाप्त कर भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की संरक्षित की गयी है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार सदर की आख्या से विदित है, कि विवादित नम्बरान मे मौके पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि मौके पर चारदीवारी व कमरों का निर्माण चल रहा है। अतः तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 20.3.2009 स्वीकार की जाती है। ग्राम गोकलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर के खाता सं० 122 खसरा नम्बर 188 म रकवई 0.090 है० एडवांस कैरियर एजूकेशन समिति गोकलपुर द्वारा उसके संघित जबैर आलम पुनर अखलाक निवासी मौ० मुर्सिलम कालोनी लक्खी बाग देहरादून के नम्बर 240 लाइन रास्ते पर भूमि अकृषिक घोषित की जाती है। विवादित नम्बर का नक्शा पास किया जाती है। इसकी बाद पर्याप्त दावेदार दावार की जाती है। जिसकी एक प्रति दावेदार को द्वारा दावेदार की जाती है। जिसकी एक प्रति दावेदार को द्वारा दावेदार की जाती है।

दिनांक 21.3.2009

श्रेष्ठा पत्र की संख्या 1240  
 प्रार्थना पत्र का दिनांक 10/2/09  
 नोटिस का दिनांक 19/2/09  
 द्रवितिप्र देने का दिनांक 19/2/09  
 छद्म वापसी 13  
 लाइन रास्ता  
 रास्तागते के इस्तेवा

(संक्षेप संक्षेप)  
 दिनांक 21.3.2009

सहारनपुर

श्रेष्ठा पत्र  
 विवादित नम्बर 21/3/09  
 रास्ता दावेदार

of m/s

19/2/09